पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मधुरंजन साह

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2025 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9598

24 जून 2025

(डॉ. अंशुमान, माननीय न्यायमुर्ति)

विचार के लिए मुद्दा

क्या कोई आदेश पारित किया जा सकता है जब अन्य उपचार उपलब्ध हैं और याचिकाकर्ता उपचारों का उपयोग किए बिना सीधे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आते हैं?

हेडनोट्स

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 11(9), 11(10) और 33 — के तहत वेतन के बकाया भुगतान के संबंध में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

निर्णीत: आदेश के कार्यान्वयन के लिए, याचिकाकर्ता को पीठासीन अधिकारी-सह-श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करना होगा, जिस पर श्रम न्यायालय के पास तीन उपचार हैं: (i) सीपीसी के आदेश 21 के आलोक में इसके कार्यान्वयन के लिए मामले को सिविल न्यायालय के समक्ष भेजना; (ii) याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना और उसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा, और; (iii) दोनों उपचारों को समाप्त करना - याचिकाकर्ता अधिनियम, 1947 के तहत उसके लिए उपलब्ध उपचारों को समाप्त करने के बजाय सीधे इस माननीय न्यायालय के समक्ष आया है - न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिनिधित्व पर कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है - रिट याचिका निर्देशों के साथ निपटा दी गई। (पैराग्राफ 4 से 9)

न्याय दृष्टान्त

उपलब्ध नहीं है

अधिनियमों की सूची

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मुख्य शब्दों की सूची

श्रम न्यायालय, पुरस्कार

प्रकरण से उत्पन्न

याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता; श्री धनंजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता; श्री डी. कुमार, अधिवक्ता; श्री अतुल कुमार, अधिवक्ता; सुश्री ईशा मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री माजिद महबूब खान, ए.ए.जी-12

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2025 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 9598

==========

मधुरंजन साह, पिता- रामदेव साह, निवासी- ग्राम- अबजुगंज, थाना -सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार
3. प्रधान सचिव, सामान्य और प्रशासनिक विभाग, बिहार, पटना, बिहार
4. निदेशक, पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार, पटना
5. जिला पदाधिकारी, भागलपुर
6. उप विकास आयुक्त, भागलपुर, बिहार
7. जिला पंचायती राज अधिकारी, भागलपुर, बिहार
8. खंड विकास अधिकारी, सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता,

श्री धनंजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता,

श्री डी. कुमार, अधिवक्ता

श्री अतुल कुमार, अधिवक्ता

सुश्री ईशा मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री माजिद महबूब खान, ए.ए .जी-12

==========

कोरम: माननीय न्यायमुर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक आदेश

2 24-06-2025 याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के साथ दायर की गई है:-

"I. दिनांक 21.02.2025, 04.03.2025, 24.03.2025 और 21.04.2025 के आवेदन पर विचार करने हेतु प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, उक्त आवेदन पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भागलपुर द्वारा विविध वाद संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2025 के अनुपालन के लिए दायर किया गया था।

II. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भागलपुर द्वारा विविध वाद संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2025 का अनुपालन करने के लिए प्रतिवादियों को आगे निर्देश देने के लिए, जिसके द्वारा 01.04.2017 से 31.12.2023 तक 01.04.2017 से सितंबर 2020 तक की अवधि को छोड़कर 10,75,104/- रुपये के वेतन के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी कुल राशि 1,40,000/- रुपये है, कुल शेष राशि 9,35,104/- रुपये है।

III. प्रतिवादी को आगे निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को वेतन के बकाया पर ब्याज का भुगतान करे, जो श्रम न्यायालय द्वारा 9,35,104 रुपये के बराबर दिया गया था, साथ ही याचिकाकर्ता को पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके पक्ष में निर्णय पारित होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए, उन्होंने कार्यान्वयन के लिए

अभ्यावेदन दायर किया है और अभ्यावेदन की प्रति उन्होंने रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-पी/4 के रूप में संलग्न की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन के निपटारे के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है।

4. इस न्यायालय को यह ज्ञात हुआ है कि याचिकाकर्ता जिस आदेश को लागू करना चाहता है, वह पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भागलपुर द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के तहत विविध वाद संख्या 1/2024 में पारित किया गया है।

5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11(9) और 11(10) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

> *"11(9). श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा या उसके समक्ष दिया गया प्रत्येक पंचाट, जारी किया गया आदेश या किया गया समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।*
>
> *11(10). श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, किसी भी निर्णय, आदेश या समझौते को अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को प्रेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस निर्णय, आदेश या समझौते को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित एक डिक्री हो।"*

6. आदेश के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निर्धारित कानून के आलोक में, पीड़ित व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी-सह-श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करना होगा, जिस पर श्रम न्यायालय के पास तीन उपचार हैं। पहला, दी.प्र.स के आदेश 21 के आलोक में मामले को सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना,

दूसरा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, जिसकी सुनवाई संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और तीसरा, दोनों उपचारों का प्रयोग करना।

7. इस न्यायालय को यह पता चला है कि याचिकाकर्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत पहले से उपलब्ध उपायों का उपयोग करने के बजाय सीधे इस माननीय न्यायालय के समक्ष आया है।

8. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है; बल्कि याचिकाकर्ता को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उपलब्ध उपचार का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

9. इस निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ. अंशुमन, माननीय न्यायमुर्ति)

एमकेआर./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।